कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के अवैध शिकार उसके अवयवों की तस्करी एवं अवैध व्यापार में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ति (54/26, दिनांक 14.08.2026)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) क्षेत्रीय इकाई, जबलपुर द्वारा वन्यजीव तस्करी के प्रकरण में पेंगोलिन के स्केल्स (शल्क) के अवैध परिवहन एवं व्यापार में संलिप्त आरोपी कृपाल सिंह पिता दशरथ सिंह (निवासी- डोगरगवां, बिलासपुर जिला उमरिया) एवं मुकेश कुमार विश्वकर्मा पिता श्याम सुन्दर विश्वकर्मा (निवासी- डोगरगवां, बिलासपुर जिला उमरिया) की जमानत याचिका क्रमश: BA-2396/2026 न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर दिनांक 08.06.26 को खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड (झिन्ना पिपरिया) के पास घेराबंदी कर 04 व्यक्तियों को उनके पास से लगभग 5 किलोग्राम पेंगोलिन की शल्क (स्कैल), एक चार पहिया वाहन एवं मोटरसाइकिल जप्त किए गए थे। जिसमें आरोपी देवीदीन व अन्य 03 आरोपी के कब्जे से वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के अवशेष बरामद कर, STSF द्वारा आरोपी के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) एवं भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/24 दिनांक 08.06.26 दर्ज किया गया था। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, ने अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए यह माना की वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-51क अंतर्गत् आवेदक के निर्दोष होने के संबंध में विश्वास किये जाने का आधार नही है। अत: बीएनएसएस की धारा 483 के तहत आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। STSF वन्यजीवों के अवैध व्यापार एवं शिकार के विरुद्ध अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखेगी

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल